सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

75

17वीं लोक सभा

पचहत्तरवां प्रतिवेदन

[नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

March, 2022/Phalguna, 1943(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की सरंचना (2021-2022) (iii)

प्राकथन (v)

प्रतिवेदन नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब; 01

अनुबंध

अनुबंध –I नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण; 09

अनुबंध –II नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में, मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत कालक्रम को दर्शाने वाला विवरण; 10

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I समिति की 10 मार्च 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश ैं उद्धरण 15

परिशिष्ट-II समिति की 20 दिसंबर 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश ैं उद्धरण 17

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2021-2022)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्ला कुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनिष कुमार रेवाड़ी - निदेशक
3. श्रीमती मंजिन्दर पब्बी - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति का यह 75वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), जिन्हें क्रमश:08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों के अनुसार, संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

3. समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया तथा 10 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 20 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, विदेश मंत्रालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने तथा समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनका धन्यवाद करती है।

6 . समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**
08 फरवरी,2022 **सभापति**
19 माघ, 1943(शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

<u>प्रतिवेदन</u>

नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, बिहार के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 2010 में लागू हुआ और 25 नवंबर, 2010 से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार सरकार के भरपूर समर्थन से, जिसने इसके परिसर की स्थापना के लिए 455 एकड़ भूमि उपहार में दी थी, 19 सितंबर, 2014 को विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृत वार्षिक बजट अनुदानों के आधार पर अलग-अलग किश्तों में नालंदा विश्वविद्यालय को निधियां उपलब्ध कराती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, नालंदा विश्वविद्यालय को आवंटित वर्ष-वार निधियों को दर्शाने वाला विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	वर्ष	निधियां
1.	2015-2016	31.67 करोड़ रुपए
2.	2016-2017	80.23 करोड़ रुपए
3.	2017-2018	150.00 करोड़ रुपए
4.	2018-2019	190.00 करोड़ रुपए
5.	2019-2020	300.00 करोड़ रुपए

2. नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 31 और 32 के अनुसार, विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखना आवश्यक है। भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 (3) के अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर संसद के पटल पर रखना होता है। विदेश मंत्रालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा है।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन, दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा), और दूसरे प्रतिवेदन (6ठी लोक सभा) जिसे क्रमशः 08 मार्च, 1976, 12 मई, 1976 और 22 दिसंबर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट सिफारिश के अनुसार, कंपनी/संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर संसद के पटल पर रखना आवश्यक होता है।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संवीक्षा में यह सामने आया कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 06 माह से 19 माह तक के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था और वर्ष 2019-2020* के दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि और विलंब की अवधि **अनुबंध – एक** में दी गई है।

4. नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में, मंत्रालय द्वारा यथा प्रस्तुत कालक्रम **अनुबंध – दो** में दिया गया है।

5. नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "विचाराधीन अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को बंद करने के प्रारंभिक चरण में, औसतन 4 माह का विलंब हुआ है। इसी तरह, लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद वार्षिक प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने में 10 से 21 माह तक का विलंब है। इस कारण से और अधिक विलंब हुआ कि वित्तीय प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षकों, वित्त समिति और शासी निकाय द्वारा और वार्षिक प्रतिवेदनों को विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित कराना होता है, जिनकी तिथि बढ़ाई जाने संबंधी बाधाओं, गणपूर्ति के अभाव आदि के कारण नियमित अंतराल पर बैठकें नहीं हो पायी हैं। अब तक विश्वविद्यालय के शासी निकाय में विदेशी प्रतिनिधित्व था और उन विदेशी सदस्यों की सुविधा के अनुसार, इसकी बैठकों

***17.12.2021 को सभापटल पर रखे गए।**

को समन्वित किया जाना होता था। लेखापरीक्षकों के पास भी अपने प्रतिवेदनों को संकलित करने के लिए समय चाहिए होता है। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज को विभिन्न कारकों के कारण पर्याप्त रूप से समेकित नहीं किया गया था और विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों की निश्चित अवधि के अंतराल पर बैठक नहीं हो पाती थी। प्रत्येक चरण में विलंब के संचयी प्रभाव के कारण, प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है।"

6. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय इस बात से सहमत है कि दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुआ विलंब यह दर्शाता है कि दस्तावेजों को समय से संसद के समक्ष रखने को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया था, और चीजों को लापरवाह तरीके से लिया गया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय, संसद के समक्ष प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तथापि, देरी के उपरोक्त उल्लिखित विलंब के कारणों से यह वैधानिक समय-सीमा का पालन नहीं कर पाया।"

7. समिति ने यह जानना चाहा कि मंत्रालय ने किस प्रकार लेखाओं की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समय से प्राप्ति के मुद्दे का समाधान किया। इस संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय को विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है जो लेखांकन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को स्वीकार करती है और इन दस्तावेजों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर समय से कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर देती है।"

8. यह पूछे जाने पर कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय के पास लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"नालंदा विश्वविद्यालय निर्धारित अनुसूची के अनुसार अपने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रतिकूल लेखापरीक्षा टिप्पणियों को कम करने के लिए भारत सरकार के नियमों और विनियमों तथा लेखापरीक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।"

9. समिति ने यह पूछा कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय या मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में शामिल प्रत्येक चरण अर्थात् वार्षिक लेखाओं के संकलन, लेखाओं की लेखापरीक्षा, सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों के अनुमोदन, अनुवाद और मुद्रण तथा सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय की प्रक्रियाओं के लिए मानक समय को दर्शाने वाली कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "नालंदा विश्वविद्यालय प्रत्येक कार्यकलाप जैसे कि वार्षिक लेखाओं का संकलन, लेखापरीक्षा के लिए सीएजी को आमंत्रित करना, उनका प्रतिवेदन प्राप्त करना, प्रारूप टिप्पणियों का उत्तर तैयार करना, द्विभाषी रूप में अनुवाद एवं मुद्रण करने और आगंतुक तथा विदेश मंत्रालय को देने तथा संसद के पटल पर रखने के लिए एक कैलेंडर तैयार करेगा।"

10. यह पूछे जाने पर कि क्या इस मामले में कार्य की प्रगति की निगरानी करने और दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में कोई तंत्र मौजूद रहा है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "मंत्रालय, विश्वविद्यालय के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से दोनों प्रतिवेदनों की प्रगति की निगरानी करता है और विश्वविद्यालय के शासी निकाय और वित्त समिति की बैठकों में भी भाग लेता है, जो इन प्रतिवेदनों पर विचार करते हैं।"

11. यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> "नालंदा विश्वविद्यालय प्रत्येक कार्यकलाप के लिए एक कैलेंडर तैयार करता है और उसका पालन करता है। मंत्रालय अपनी ओर से यह सुनिश्चित करेगा कि समय-सीमा का ईमानदारी से पालन किया जाए। विलंब के मामले में, संबंधित विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।"

12. समिति ने सदन में दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किसी अन्य जानकारी/सुझाव के बारे में पूछा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"विश्वविद्यालय को वित्त वर्ष पूरा होने के बाद वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं के संकलन के बाद मंत्रालय को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी और विशेष रूप से ऐसे मामले में कारण और औचित्य बताते हुए ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहा जाएगा, जब वित्त वर्ष समाप्त होने के आठ माह के भीतर दोनों प्रतिवेदनों को मंत्रालय को प्रस्तुत करने में विलंब की संभावना हो। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय इसकी प्रगति की जानकारी संसद को देगा और किसी भी विलंब के पूर्वानुमान पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करेगा। तथापि, दोनों प्रतिवेदनों को समय पर संसद के पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे।"

13. समिति ने नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामलों पर विचार किया और इस मामले में 10 मार्च, 2021 को विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

14. नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को विस्तार से बताते हुए मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय, निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने की सांविधिक आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तथापि, वर्तमान और पिछले वर्षों के दौरान, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। इस विलंब के लिए जिम्मेदार कारक दो तरह के हैं, प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ जैसे कि सांविधिक निकाय की बैठक निर्धारित करने में बाधाएं, वित्तीय समिति और शासी निकाय जिसने वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को मंजूरी दी थी और सीएजी द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का संकलन में लगने वाला समय।

इसकी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, विभिन्न कारणों से कारण नालंदा विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज को पर्याप्त रूप से समेकित नहीं किया गया था और प्रत्येक चरण में धीमी प्रगति का संचयी प्रभाव संसद के समक्ष

प्रतिवेदन पेश करने में देरी का कारण बना । भविष्य में देरी को रोकने के लिए, हम विश्वविद्यालयों से अनुरोध कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद प्रतिवेदन के संकलन पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करें और विशेष रूप से अपरिहार्य कारणों से अनुमानित देरी, यदि कोई हो, पर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करें।मंत्रालय, बदले में, लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन के संकलन की प्रगति के बारे में सूचित करेगा और यदि आवश्यक हो तो समय बढ़ाने का अनुरोध करेगा।विश्वविद्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय द्वारा उनकी जांच की जाती है और संसद के सभा पटल पर रखने के लिए उनकी मंजूरी के लिए विदेश मामलों के माननीय राज्य मंत्री को प्रस्तुत किया जाता है। आम तौर पर, संसद के सत्र के आधार पर इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह लगते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे 2018-19 आज लोक सभा पटल पर रखे जा रहे हैं और विदेश राज्य मंत्री द्वारा संसद के मौजूदा सत्र के दौरान18 मार्च को राज्य सभा के पटल पर रखे जाएंगे। हम समिति को इस महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्व को पूरा करने में अपनी पूरी प्रतिबद्धता और सहयोग का आश्वासन देते हैं।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

15. समिति नोट करती है कि विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभापटल पर रखे जाने लिए भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 212 (3) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। समिति यह जानकर अत्यधिक निराश है कि विदेश मंत्रालय ने नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-2019 के लिए इन दस्तावेजों को सभापटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है, जिन्हें 06 माह से 20 माह तक के विलम्ब के साथ सदन के सभापटल पर रखा गया। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2019-20* के लिए जिन दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक पटल पर रखना आवश्यक था, उन्हें रखा जाना बाकी है।

16. नालंदा विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को सभापटल पर रखने में 6 महीने से 20 महीने की देरी के कारणों की जांच करते हुए, समिति इस बात से निराश है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को बंद करने के प्रारंभिक चरण में अनुचित देरी हुई थी। लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में 10 से 21 माह तक का विलम्ब हुआ है। नियमित अंतराल पर गवर्निंग बोर्ड की बैठक का आयोजन न करने और भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वय की कमी के कारण विलम्ब में और बढ़ोतरी हुई, जिसे एसओपी को अपनाकर टाला जा सकता था।समिति ने इन विलम्बों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

17. इसके अलावा, विदेश मंत्रालय, नालंदा विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अब से ये दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभापटल पर रखे जाएं।समिति को इन निर्देशों के अनुपालन और भविष्य में देरी से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से अवगत कराया जाए ।

---

*17.12.2021 को सभापटल पर रखे गए।

18. समिति मंत्रालय पर यह भी दबाव डालती है कि यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से नालंदा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे निर्धारित समय के भीतर सभापटल पर नहीं रखे जा सकते हैं, तो निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज नहीं रखे जाने के कारणों को बताते हुए एक विवरण, 30 दिनों के भीतर या सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, सभापटल पर रखे जाने चाहिए ।

नई दिल्ली
20 दिसम्बर, 2021
29 अग्रहरायण,1943 (शक)

रितेश पाण्डेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

अनुबंध -I
(प्रतिवेदन का पैरा **3** देखें)

वर्ष	निर्धारित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि
2015-2016	31.12.2016	09.08.2018	19 माह 09 दिन
2016-2017	31.12.2017	09.08.2018	07 माह 09 दिन
2017-2018	31.12.2018	10.07.2019	06 माह 10 दिन
2018-2019	31.12.2019	10.3.2021	14 माह 10 दिन
2019-2020	31.12.2020	सभा पटल पर नहीं रखे गए	07 माह (आज तक)

***17.12.2021 को सभापटल पर रखे गए।**

अनुबंध -II

(प्रतिवेदन का पैरा **4** देखें**)**

उप-प्रश्न	बिन्दु	वित्तीय वर्ष				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(एक)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि।	12.09.201	16.10.2017	29.09.2018	28.10.2019	27-10-20
	लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।	5 1/2माह	6 1/2माह	6 माह	7 माह	7 माह
(दो)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के पश्चात लिया गया समय।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(तीन)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि।	30.06.2016	29.06.2017	29.08.2018	31-8-19	31-8 20
	लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।	3 माह	3 माह	5 माह	5 माह	5 माह
(चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि।	12.09.2019	16.10.2017	29.09.2018	28-10-2019	28-10-2020
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।	5 1/2 माह	61/2 माह	6 माह	7 माह	7 माह

(पांच)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की तिथि और अवधि।	08.11.2016 से 07.12.2016	31.10.2017 से 22.11.2017	03.01.2019 से 23.01.2019	13-11-19 से 4-12-19	14-12-20 से 4-1-21
(छह)	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखे तैयार करने के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा प्रश्न उठाए जाने की तिथि।	08.11.2016से 07.12.2016	31.10.2017से 22.11.2017	03.01.2019से 23.01.2019	13-11-19 से 4-12-19	14-12-20 से 4-1-21
	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखे तैयार करने के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से प्रश्न पूछने में लिया गया समय।	0-30 दिन	0-22 दिन	0-20 दिन	0-21 दिन	0-21 दिन
(सात)	लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिए जाने की तिथि।	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से
	प्रश्नों का उत्तर देने में लिया गया समय।	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से	लेखा परीक्षा के दौरान समानांतर रूप से

(आठ)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि।	जनवरी 2017	14.12.2017	18.02.2019	23-12-19	3-2-21
	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के पश्चात लिया गया समय।	एक सप्ताह	3 सप्ताह	4 सप्ताह	3 सप्ताह	4 सप्ताह
(नौ)	संगठन द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि।	28.04.2017	05.04.2018	22.04.2019	11-5-20	अभी प्राप्त होना है
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी करने के पश्चात लिया गया समय।	3 माह	3 माह 20 दिन	2 माह	4 माह से अधिक	अभी प्राप्त होना है
(दस)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा संगठन को अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लेखाओं की प्राप्ति के पश्चात लिया गया कुल समय।	8 माह	6 1/2माह	7 माह	7 ½माह	अब तक लगभग 4 माह
(ग्यारह)	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि।	दिसंबर 17	2015 -16 और 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट 23.01.2018 को प्रारंभ की गई, पूरी की गई और प्रस्तुत की गई	मई 19	जून 20	
	वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय; और	21 माह		14 माह	15 माह	
	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात लिया गया समय।	9 माह		एक माह से कम	8 माह	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्रतीक्षित है

(बारह)	सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों को अनुमोदित कराए जाने की तिथि।	जनवरी 18		6-6 19	22-10-20	
	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात लिया गया समय।	एक माह		एक माह	4 माह	
	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात लिया गया समय।	8 माह		1 ½माह	5 माह	
(तेरह)	दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण हेतु लिए जाने की तिथि।	दिसंबर 17 (अनुवाद) जनवरी 18 (मुद्रण)		8-2-19 (अनुवाद) 8-4-19 (मुद्रण)	13-10-20(अनुवाद) 4-12-20 (मुद्रण)	
	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने हेतु लिया गया समय।	3 सप्ताह (अनुवाद) 1 सप्ताह (मुद्रण)	3 सप्ताह (अनुवाद) 1 सप्ताह (मुद्रण)	8-3-19 (अनुवाद के लिए एक माह) and 11-4-19 (मुद्रण के लिए 3 दिन)	13-11-20(अनुवाद के लिए एक माह) और 6-12-20 (मुद्रण के लिए 3 दिन)	

(चौदह)	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा करने के पश्चात दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को भेजने की तिथि।	23-1-18	23-1-18	12-4-19	7-12-20	
	दस्तावेजों को मंत्रालय को भेजने में संगठन द्वारा लिया गया समय।	1 दिन	1 दिन	1 दिन	1 दिन	
(पंद्रह)	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि।	13-7-2018	13-7-2018	4-7-2019	मार्च 2021 (संभावित)	
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात लिया गया समय।	2 माह 9 दिन	2 माह 9 दिन	9 दिन		

परिशिष्ट-I

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक बुधवार, 10 मार्च, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक तक समिति कक्ष "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री टी. एन. प्रथापन

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती बी. विशाला - निदेशक
3. श्री आर. के. चौधरी - उप सचिव

विदेश मंत्रालय और नालांदा विश्वविद्यालय, नालंदा, बिहार के प्रतिनिधि

1. श्रीमती रीवा गांगुली दास - सचिव (ईस्ट), एमईए
2. श्री हर्ष कुमार जैन - संयुक्त सचिव (बीआईएमएसटीईसी, सार्क और नालंदा), एमईए
3. प्रो. सुखबीर सिंह - डीन, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉस्फी एंड कंपेरेटिव रिलिजन, एनयू
4. डॉ. अश्विनी कुमार सिंह - रजिस्ट्रार, एनयू

XX XX XX XX

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आयोजित करने का उद्देश्य बताया।

3. तत्पश्चात, समिति ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के विश्वविद्यालय वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में मौखिक साक्ष्य लेने के लिए विदेश मंत्रालय और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के प्रतिनिधियों को बुलाया।

4. सभापति ने मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया तथा उनको यह बताया कि उपर्युक्त वर्षों के विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर विलंब से रखने के कारणों की जांच करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष के निदेश के निदेश-58 के उपबंधों के बारे में भी बताया।

5. साक्ष्य के दौरान, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय ने मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की ओर से हुए विलंब को स्वीकार किया तथा यह बताया कि रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति, विश्वविद्यालय में स्थायी कर्मचारियों की कमी और शासी निकाय इत्यादि का गठन न हो पाना भी विलंब के प्रमुख कारण थे। उन्होंने, उनके द्वारा दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

6. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि समय-सारणी के न होने के कारण मंत्रालय/विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समयबद्ध तरीके से सभा पटल पर रखा जाना कैसे संभव है, मंत्रालय/विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि बाद में उनके द्वारा समय सारणी तैयार कर ली गई थी। उन्होंने, समिति को आश्वस्त किया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के दस्तावेजों को समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

7. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने मंत्रालय और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा करने हेतु धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

8. से 11 XX XX XX XX

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

(XX- साक्ष्य कार्यवाही और उसके कार्यवाही सारांश जो विषय से संबंधित नहीं हैं, अलग से रखे गए हैं।)

परिशिष्ट-II

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, **सोमवार**, 20 **दिसम्बर**, 2021 को 15:00 बजे से 16:50 बजे तक समिति कक्ष '**ग**', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी **शंकर** उलाका
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. **श्रीमती सुमन अरोड़ा** - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. **श्रीमति मंजिन्दर पब्बी** - अवर सचिव

XX XX XX XX XX

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित **चार (4) प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

मूल प्रतिवेदन

i. नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एल.), नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब; तथा

ii. नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब ।

की गई कार्रवाई प्रतिवेदन

iii. जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सर कार द्वारा की गई कार्रवाई; और

iv. रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा 17वीं लोक सभा के 26वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के **इन चार** प्रारूप **प्रतिवेदनों** को स्वीकार किया। समिति ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इन प्रतिवेदनो (केवल मूल प्रतिवेदन) के तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर इन प्रतिवेदनो को संसद में प्रस्तुत करने के लिए माननीय सभापति को अधिकृत किया।

5. से 17. **XX XX XX XX XX**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

(XX- साक्ष्य कार्यवाही और उसके कार्यवाही सारांश जो विषय से संबंधित नहीं हैं, अलग से रखे गए हैं।)